फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

श्यामलाल बनाम हापूराम

किस्म मुकदमा ....225 आर.टी.एक्ट......................... मुकदमा नंबर.......119.......सन....2022....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20/10/22	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा मुकदमा संख्या 195/2021 बउनवान हापूराम बनाम भंवरी देवी में पारित आदेश दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2021 पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि 16.11.2021 को पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के बाद दिनांक 13.10..2022 तक पत्रावली तलबी में ही विचाराधीन है। 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पत्रावली में तलवी नही होने, एवं एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाझा से पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियो का सामना करना पड़ता है, जबकि आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि '' 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was	

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 195/2021 बउनवान हापूराम बनाम भंवरी देवी में पारित आदेश दिनांक 16.11.2021 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली